संख्या- 12 /2016/346/एक-4-2016

प्रेषक,

बीरबल सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- आयुक्त् एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0, लखनऊ।
2- जिलाधिकारी,
वाराणसी।

राजस्व अनुभाग-4 **लखनऊ दिनांक 31 मार्च, 2016**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद-वाराणसी के कलेक्टेट मुख्य भवन एवं तहसीलों के आवासीय/अनावासीय भवनों के ग़हकर की बकाया धनराशि के भुगतान हेतु पुर्नविनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक दिनांक 22-03-2016 एवं जिलाधिकारी वाराणसी के पत्र संख्या-1047/नाजिर/2016, दिनांक 25 मार्च, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय अनुदान संख्या-50, लेखा शीर्षक- 2053-जिला प्रशासन-आयोजनेत्तर-093-जिला स्थापनायें-03-कलेक्टरी स्थापना के अर्न्तगत 10-जलकर/जलप्रभार मद में **रू0-96,00,000/-**एवं 17-किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व मद में **रू0-1,16,24000/-**अर्थात **कुल धनराशि रू0-2,12,24,000/-(रूपये दो करोड् बारह लाख चौबीस हजार मात्र)** की 03-महंगाई भत्ता के मद में होने वाली बचत से पुर्नविनियोग के माध्यम से स्वीक़त किये जाने की सहर्ष स्वीक़ृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि को जनपद-वाराणसी के कलेक्टेट मुख्य भवन एवं तहसीलों के आवासीय/अनावासीय भवनों के ग़हकर की बकाया धनराशि के भुगतान हेतु उक्त उल्लिखित मदों के अर्न्तगत आवश्यकतानुसार आवंटित करने हेतु आपके निर्वतन पर रखा जाता है।

3- उक्त व्यय नियमानुसार बजट मैनुअल तथा प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायगा।

4- उक्त धनराशि की स्वीक़ति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि उक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग केवल स्वीक़ति मदों के लिए इसी वित्तीय वर्ष में किया जाएगा तथा बचत की मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जाएगी।

5- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-50, लेखा शीर्षक- 2053-जिला प्रशासन-आयोजनेत्तर-101-आयुक्त्-मुख्य कार्यालय-03 मंहगाई भत्ता के अर्न्तगत संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र में उल्लिखित मानक मदों के सम्मुख उपलब्ध हो रही बचतों से पुर्निविनियोग के माध्यम से वहन किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(बीरबल सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 12 /2016/346/एक-4-2016-तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार (प्रथम),उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, वाराणसी एवं लखनउ ।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-5
4- वित्त (आय व्ययक)अनुभाग-2।
5- राजस्व अनुभाग-6
6- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(बीरबल सिंह)
उप सचिव

ht p://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।